राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2011 जयपुर,दिनांक 17 JUN 2011

: परिपत्र :

विषयः– वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

सेवा नियमों की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर संविदा नियुक्ति नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक, कम्प्यूटर मय ऑपरेटर तथा एजेन्सी के माध्यम से संविदा सेवाएं लिए जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के कियान्वयन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो और राजकीय कार्य के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न नहीं हो, को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है : –

1. कार्मिक विभाग के ज्ञापन संख्या प.17(10)कार्मिक/ए–।।/94 दिनांक 31.10.1995 एवं समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पर सेवाएं ली जा सकेंगी।
2. राजकीय विभागों में सैनिक कल्याण विभाग के परिपत्र प. 8 (1) सै.क./2003–31 दिनांक 17.04.2008 के अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा प्रहरी, सुपरवाइजर, सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, लिपिक, वाहन चालक, प्लम्बर, पैंटर, कारपेन्टर, वेल्डर, ब्लेकस्मिथ की सेवाएं निर्धारित शर्तों एवं पारिश्रमिक दरों पर ली जा सकेंगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समितियों से केवल भूतपूर्व सैनिकों की ही सेवाएं ली जा सकेंगी।
3. राजकीय विभागों में कम्प्यूटर किराए पर लिए जाने के सम्बन्ध में वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.9(1)वित्त–1(1) बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 की शर्तों के अनुसार कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाएं केवल एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर ली जा सकेंगी। व्यक्तिगत संविदा के आधार पर कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाएं नहीं ली जा सकेंगी।
4. (i) परियोजनाओं (**Projects**) हेतु यथा संभव विभिन्न विभागों से कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जा सकता है। परियोजनाओं के पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कार्मिकों से भरने हेतु संबंधित विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जावे, ताकि वांछित योग्यताधारी कार्मिक उपलब्ध हो सकें।
   (ii) यदि परियोजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु उक्त बिन्दु संख्या (i) के अन्तर्गत कार्य कराया जाना संभव नहीं हो तो कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से **Job basis** पर कार्य कराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत (**Individual**) अथवा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से व्यक्तियों की सेवाएं अनुबन्धित नहीं की जा सकेंगी।

(सी.के.मैथ्यू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

(PTO)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/(अनुबंध)/2011/1512 दिनांक : 10-8-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. परियोजना निदेशक (आर.एच.एस.डी.पी./एन.आर.एच.एम.)।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य)/एड्स कंट्रोल सोसायटी/(प.क.) मुख्यालय।
3. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन–(राजस्थान)।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण, (राजस्थान)
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारीगण (राजस्थान)।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

अति0 निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जपुर